मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

Model Code of Conduct

पंचायत निर्वाचन - आदर्श आचरण संहिता

Disclaimer

This training material is for use in training of election officials. It should not be referred as guidelines of SEC. In case of any variance in this training material, the SEC guidelines/ rules/ laws shall prevail.

आदर्श आचरण संहिता

- राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से विकसित
- संहिता में निहित सिद्धांतों का पालन करने की सहमति
- राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्र (Manifesto) में इसका सम्मान करने की बाध्यता

आदर्श आचार संहिता क्यों?

आदर्श आचार संहिता क्यों?

- प्रत्येक राजनैतिक दल / अभ्यर्थी को समान अवसर प्रदान करना।
- मतदान प्रक्रिया के संबंध में जनता के बीच विश्वास पैदा करना।
- मतदाताओं की खरीद और लुभाने पर अंकुश लगाने के लिए।
- शासकीय मशीनरी की निष्पक्षता के लिए ।
- नागरिकों के 'नागरिक अधिकारों' की रक्षा के लिए।

आदर्श आचार संहिता क्यों?

- पारदर्शी और निडर होकर पंचायत व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सभी को राजनीति तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करना।
- दलों के बीच संघर्ष से बचना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
- शक्ति का दुरुपयोग रोकना।

MCC - विनियोग का व्यापक क्षेत्र

MCC - विनियोग का व्यापक क्षेत्र

- कल्याणकारी योजनाओं और शासकीय कार्यों का उचित निष्पादन।
- शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना।
- रेस्ट हाउस, डाक बंगले और अन्य शासकीय आवास का उपयोग।
- मंत्रियों / राजनीतिक अधिकारियों के दौरे के बारे में प्रावधान।
- शासकीय/ आधिकारिक विमान / वाहनों का उपयोग।
- लाउडस्पीकर का उपयोग।
- पर्चे, पोस्टर और अन्य मीडिया गतिविधियों की छपाई।

MCC की समयावधि

MCC की समयावधि

» राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशीलता रहेगी।

भाग - एक
अभ्यर्थियों के लिए

सामान्य आचरण

- किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस नही पहुंचाना जिस कारण उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
- चुनाव में धार्मिक सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा न लेना।
- किसी धर्म के पूजा स्थल आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करना।
- अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना न करना ।

सामान्य आचरण

- राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों, जैसे कि :
  - ऐसा कोई पोस्टर / पंपलेट / परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो
  - किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत आचरण और चरित्र के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास ना हो

सामान्य आचरण

- राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों, जैसे कि :
  - चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघन डालना।
  - मतदान की समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना।

सामान्य आचरण

- राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों, जैसे कि :
  - मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना
  - मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना
  - मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने एवं या वापस ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना

सामान्य आचरण

- राजनितिक दल या अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो कानून के अंतर्गत अपराध हों, जैसे कि :
  - ➢ मतदान केंद्र या उसके आस-पास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान अधिकरियों के कार्यों में बाधा डालना
  - ➢ मतदाताओं का प्रतिरुपण करना

सामान्य आचरण

- मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी।
- अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ना तो शराब खरीदी जाए ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए।

सामान्य आचरण

- किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहतें या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए।

सामान्य आचरण

- शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसंपत्तियों का उक्त प्रायोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे दल या व्यक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाने चाहिए।

सामान्य आचरण

- किसी राजनीतिक दल की आलोचना उसकी नीति, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए।
- दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों के आधार पर न करना।
- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान करना।
- किसी भी व्यक्ति के घर के सामने धरना या नारेबाजी या प्रदर्शन न करना।

सामान्य आचरण - पहचान पर्ची

- राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची, सादे कागज पर होनी चाहिए।
- पहचान पर्ची में उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए
- पर्ची में मतदाता का नाम उसके पिता / पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए।

सामान्य आचरण - शांतिपूर्वक तथा सुचारू मतदान

- मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से संपन्न करने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

सामान्य आचरण – मतदान के पूर्व 48 घंटों की कालावधी

- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधी के दौरान
  - निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जलूस ना बुलाएगा ना ही आयोजित करेगा ना उसमें उपस्थित होगा ना उसमें सम्मिलित होगा और ना उसे संबोधित करेगा

सामान्य आचरण – मतदान के पूर्व 48 घंटों की कालावधी

- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधी के दौरान
    - ➢ चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा

सामान्य आचरण – मतदान के पूर्व 48 घंटों की कालावधी

- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केंद्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधी के दौरान
  - ➢ कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

सभा एवं जुलूस

- सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाना चाहिए।
- स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जाना चाहिए।
- चुनावी सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी नही की जाना चाहिए।
- यदि दो भिन्न - भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा पास-पास स्थानों पर सभा की जा तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखें जाना चाहिए।

सभा एवं जुलूस

- चुनावी जुलूस ऐसे मार्ग से होकर नहीं निकालेगें जहॉ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो।
- जलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में सम्बंधित पुलिस थाने में कम से कम 1 दिन पूर्व सूचना दी जाना चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा ना हो

सभा एवं जुलूस

- जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिन को लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सके।

सभा एवं जुलूस

- सभाओं एवं जलूसों में किसी अन्य अभ्यर्थी / दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने की अनुमति नही होगी।
- सभाओं एवं जलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध

- शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरण, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों, या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के किसी भी तरह के वाहनों / विमानों एवं अन्य संसाधनों अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध

- ऐसे वाहनों आदि को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रियों, सांसदों विधायकों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए

निर्वाचन घोषणा पत्र

- निर्वाचन घोषणापत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरुप न हो।
- ऐसे वायदे नही किए जावेंगें जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचिता को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

निर्वाचन घोषणा पत्र

- घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदों का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- मतदाताओं का विश्वास के बाद ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

भाग - दो

शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के लिए

शासकीय विभाग एवं उनके कर्मचारी

- निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया जावेगा जिससे चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित होती हो।

शासकीय विभाग एवं उनके कर्मचारी

- किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नई योजना का कार्य करने के लिए स्वीकृति जारी करना आदि कार्य न किए जावें।

शासकीय विभाग एवं उनके कर्मचारी

- कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिए।
- जनता को उनके निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए।
- उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या व्यक्ति की मदद कर रहे हैं।

शासकीय विभाग एवं उनके कर्मचारी

- चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री अथवा सार्वजनिक उपक्रम/ स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो सरकारी कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा

- सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा की अनुमति देते समय अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक अभ्यर्थी / दल, एक ही जगह पर सभा करना चाहते हो तो पहले उस अभ्यर्थी / दल को अनुमति दी जाना चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है।

शासकीय आवास सुविधा का उपयोग

- विश्राम गृह में या अन्य संस्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए, जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है।
- परंतु किसी भी दल या व्यक्ति को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए।

सार्वजनिक सभा

- साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए।
- ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा का आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

चुनाव के दौरान जिले में मंत्री के दौरे

- यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र या भ्रमण करें जहां की चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे भ्रमण चुनावी द्वारा माना जाना चाहिए।
- इस दौरे उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी साथी कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाना चाहिए।

मंत्रीगण या सांसदों या विधायकों द्वारा स्वेच्छानुदान

- निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रीगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में (जहां की चुनाव होने वाले हों) स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी सहायता या अनुदान को आश्वासन दिया जाना चाहिए।

नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का शिलान्यास या उद्घाटन

- निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान किसी योजना या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में शासकीय विज्ञापन

- चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से शासकीय खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित यह रेखांकित किया गया हो या जिन से सत्ताधारी दल को अपने दल के हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग - तीन

त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए

पंचायत से अभिप्राय

- इस भाग में पंचयत अभिप्राय है: –
  - जिला पंचायत
  - जनपद पंचायत
  - ग्राम पंचायत

पंचायत कर्मचारियों का व्यवहार

- पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए।
- ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास होगी वह किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

पंचायत से सम्बंधित कार्य

- निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने की दिनांक तक पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए
- पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुमति नही दी जाना चाहिए।

पंचायत से सम्बंधित कार्य

- पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जाना चाहिए। केवल पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण हो सकता है।
- पंचायत क्षेत्र में किसी योजना या कार्य की नवीन स्वीकृति नहीं दी जाना चाहिए।
- वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य आदि स्वीकृत या प्रारंभ नहीं करना चाहिए।

पंचायत से सम्बंधित कार्य

- पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास किया उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

पंचायत से सम्बंधित कार्यक्रम एवं स्वेच्छानुदान राशि

- किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

पंचायत के खर्चे पर विज्ञापन

- पंचायत के खर्चे पर उपलब्धियों को प्रसारित या रेखांकित करने का विज्ञापन या पंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए।

पंचायत - आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्ति मुलक; आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कि रोजगार/ व्यवसाय के लिए सहायता, आवास निर्माण के लिए सहायता राशि, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

पंचायत - आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- आदर्श आचार संहिता की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी नवीन हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत अथवा प्रारंभ नहीं किए जा सकेंगे ।
- मजदूरों द्वारा कार्य की मांग करने पर 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' में शामिल रु 10 लाख तक की लागत के सामुदायिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत कर, प्रारंभ किए जा सकेंगे ।

पंचायत - आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- ऐसा तभी किया जा सकेगा जब उस पंचायत में चल रहे अथवा अपूर्ण कार्य पर मजदूरों को पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी कार्य के लिए इच्छुक मजदूरों की संख्या स्पष्टतः सामने आए।
- ऐसे कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत रहेगी तथा समस्त भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा किया जावेगा।

पंचायत - आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रभार में आते ही यह व्यवस्था स्वमेव तत्काल समाप्त हो जाएगी
- किंतु इस अवधि में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत सामुदायिक कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत का ही रहेगा।
- आवश्यकता पड़ने पर उक्त अनुसार व्यवस्था जिला एवं जनपद पंचायतों के परिपेक्ष में भी लागू की जाना चाहिए।

पंचायत - प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना

- किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष / उपाध्यक्ष) के भ्रमण को चुनावी द्वारा माना जाना चाहिए।
- ऐसे दौरे में पंचायत का कोई कर्मचारी व शासन का वाहन या अन्य सुविधा का उपयोग नही किया जावेगा।

भाग - चार

प्रेक्षक के संबंध में

प्रेक्षक

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए जिससे भी अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सकें।
- निर्वाचन के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाना चाहिए।

प्रेक्षक

- शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों / पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों तब उसमें किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

- मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964
- मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम, 1994
- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985
- The Indian Panel Code, 1888 (sec 188 – most common)
- The Code of Criminal Procedure, 1973 (sec 144– most common)
- The Police Act, 1861

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

- The Arms Act, 1959
- The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988
- The Flag Code of India, 2002
- The Emblem and Names (Prevention of Improper use) Act, 1950
- The Prevention of Insults to National Honour Act 1971.

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

- The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 - (sec 3(1)(vii) – most common)
- The Cable Television Network (Regulations) Rules, 1994 - (sec 7(3) – most common)
- The Information Technology Act, 2000
- The National Security Act, 1980
- The Motor Vehicle Act, 1988

Thanks!

ypssagar@gmail.com

https://srgpcsagar.org/eLearning

https://sites.google.com/srgpcsagar.org/ypsingh

Dr. Y. P. Singh, SRGPC, Sagar (M.P.)

9425436423